उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्याः 2213 /कौ0वि0मि0/एस/2021–22/का.आ./1656
दिनांक : 28 अक्टूबर, 2021

कार्यालयादेश

अभिलेखीय परीक्षण से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं (एमएसडीपी, बीओसीडब्लू, एससीए टू एससीएसपी, बीएडीपी, एसएसडीएफ) के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जा चुके कतिपय ऐसे प्रशिक्षणार्थियों, जो पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे और जिनके सापेक्ष भुगतान भी किया जा चुका था, को प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पुनः इनरोल कर तथा प्रशिक्षण प्रदान कर कार्यालय से भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किये गये अतिरिक्त भुगतान (किसी प्रशिक्षणार्थी का एक से अधिक बार इनरोलमेंट कर देयक प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया भुगतान) की वसूली कर ली जाये।

उक्त वसूली की कार्यवाही निम्न उपलब्ध विकल्पों के आधार पर सुनिश्चित की जायेगीः–

1. यदि सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता के देयक भुगतान हेतु उपलब्ध हैं तो उनसे प्रश्नगत धनराशि को समायोजित कर लिया जाये।
2. यदि उक्त स्थिति नहीं है अर्थात् सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता का कोई देयक भुगतान हेतु अवशेष अथवा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली की कार्यवाही नियमतः संस्थित की जाये।

उक्त कार्यवाही को आईटी प्रकोष्ठ के समन्वय से प्रशिक्षण प्रदाता प्रकोष्ठ एवं वित्त एवं लेखा प्रकोष्ठ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 2213 /कौ0वि0मि0/एस/2021–22/का.आ./1656 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
2. उपनिदेशक, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
3. प्रभारी (आईटी), उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
4. समस्त आबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
5. प्रबन्धक (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त सहायक प्रबन्धक, टीपीपी प्रकोष्ठ, उ.प्र. कौशल विकास मिशन।
7. गार्ड फाइल।

28/10/21
(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक